राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

64वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्यवाही
1.	**राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :**	
	क) मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कृषि ऋणों के विरुद्ध **"भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार"** दर्ज करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन में **Real Time Display** की व्यवस्था अगली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक से पूर्व राज्य की सभी तहसीलों में राजस्व विभाग एवं एन.आई.सी. द्वारा लागू किया जाना है।	**क)** दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को इस विषयक आयोजित समीक्षा बैठक में एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य की 14 तहसीलों में ऑन-लाइन डाटा अपलोड की सुविधा लागू कर दी गयी है तथा शेष तहसीलों में उक्त सुविधा लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है।
	ख - i) बैंकों द्वारा **"वसूली प्रमाण पत्र"** की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोगार्थ जारी करने से संबंधित स्पष्ट शासनादेश राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया जाना है।	**ख - i)** शासनादेश जारी किया जाना प्रतीक्षित है।
	ख - ii) माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में शासन स्तर से जिलाधिकारियों के लिए बैंकों के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली में तेजी लाने हेतु समुचित निर्देश जारी किया जाना है।	**ख - ii)** इस संबंध में सूचना प्रतीक्षित है।
	ग - i) वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी राशि **क्रमश: ₹ 0.67 लाख, ₹ 0.37, ₹ 3.53 लाख**, **₹ 0.62 लाख**, **₹ 2.30 लाख, ₹ 8.19 लाख** तथा **₹ 17.23**, जिनमें से प्रथम पाँच पुराने लम्बित हैं, की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जानी है।	**ग - i)** स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी से प्राप्त सूचना के अनुरुप शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 तक आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों पर व्यय की गयी लम्बित राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गयी है।
	ग - ii) शासन द्वारा आरसेटी संस्थान देहरादून, नैनीताल एवं टिहरी के भवन निर्माण हेतु आबंटित / चयनित भूमि में विभिन्न तकनीकी एवं स्थानीय कारणों से परिवर्तन किया जाना अपेक्षित है।	**ग - ii)** इस विषयक शासन स्तर से संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र द्वारा निर्देशित किया गया है।
	घ) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा एन.आई.सी., दिल्ली से प्राप्त 484 आधारभूत बैंकिंग ढाँचा रहित ग्रामों की सूची, जिसका परीक्षण अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि में बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस की उपलब्धता हेतु किया गया है, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास),	**घ)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा संबंधित सूची ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन को उनकी अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दी गयी है।

	उत्तराखंड शासन को इस आशय से उपलब्ध कराया जाना है कि शासन के स्तर से राज्य के सभी 670 न्याय पंचायतों के साथ तुलना कर वहाँ आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता का परीक्षण किया जाए।	
2.	**<u>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण</u> :**	
	क) समस्त बैंक **दिनांक 31 मार्च, 2018** तक वार्षिक ऋण योजना 2017-18 के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों की सेक्टरवार शत प्रतिशत प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।	**क)** वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष 90% की उपलब्धि दर्ज की गयी है।
	ख) समस्त बैंक तथा अग्रणी जिला प्रबंधक सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं यथा पी.एम.ई.जी.पी., वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्पेशल कमपोनेन्ट प्लान आदि के अंतर्गत लम्बित समस्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण **दिनांक 10 मार्च, 2018** तक करना / करवाना सुनिश्चित करें।	**ख)** राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त बैंक नियंत्रकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों को विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में करने हेतु पुन: निर्देशित किया गया है।
	ग) समस्त बैंक पी.एम.ई.जी.पी. योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में शीघ्र ऋण वितरण करते हुए **दिनांक 31 मार्च, 2018** से पूर्व संबंधित पोर्टल पर मार्जिन मनी क्लेम अनिवार्यत: दाखिल करना सुनिश्चित करें**।**	**ग)** बैंकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक योजनांतर्गत 2389 आवेदन पत्रों में ऋण वितरित करते हुए **₹ 44.26 करोड़** का अनुदान दावा पोर्टल पर दर्ज किया गया है, जिसमें से **₹ 28.10 करोड़** का भुगतान बैंक शाखाओं को प्राप्त हो चुका है एवं शेष का भुगतान होना अभी लम्बित है।
	घ) समस्त बैंक नियंत्रक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उनकी नियंयत्रणाधीन शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें। साथ ही बैंक अपने द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूरा करते हैं, को इस योजना के अंतर्गत कवर करना भी सुनिश्चित करें।	**घ)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं बैंक नियंत्रकों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे गृह ऋण, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूर्ण करते हैं, को योजनांतर्गत शामिल करने की पुष्टि की गयी है।
	ङ) समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत अपने जिले में नगरपालिका / नगर पंचायतों के द्वारा बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की वस्तु स्थिति की समीक्षा करते हुए लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की निगरानी करेंगे।	**ङ)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
	च) समस्त बैंक खरीफ 2017 एवं रबी 2017 सीजन के अंतर्गत ऐसे बीमित कृषक जिनका डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है, का अलग-अलग विवरण ऑफ-लाइन मोड में तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय,	**च)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त बैंकों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं एवं बैंकों द्वारा कार्यवाही की गयी है।

	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि., देहरादून को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसे कि उनके स्तर से इस विषय को भारत सरकार के संज्ञान में लाते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रयास किया जाए।	
	छ) समस्त बैंक भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप सभी बैंक खातों में आधार सत्यापन के कार्य को **दिनांक 31 मार्च, 2018** तक अनिवार्यत: पूर्ण करें। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक त्रैमासिक खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों की अध्यक्षता हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी को आमंत्रित करें, जिसमें आधार सत्यापन को एजेण्डा बिंदु के रुप में रखकर चर्चा करते हुए इस कार्य में उनका भी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें।	**छ)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त बैंकों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में आधार सीडिंग को खाताधारक के सहमति पत्र के आधार पर किए जाने का अंतरिम प्रावधान है।
	ज) भारत सरकार के निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित बैंक आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु चयनित शाखाओं में इनकी स्थापना के कार्य को दिनांक **31 मार्च, 2018** से पहले अनिवार्यत: पूरा करें।	**ज)** इस विषयक चयनित 230 बैंक शाखाओं में से 102 में बैंकों द्वारा आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना कर इनके संचालन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त 19 अन्य बैंक शाखाओं में भी आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना बैंकों द्वारा की गयी है।
	झ) समस्त संबंधित बैंक **31 मार्च, 2018** तक कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में वी.-सैट लगाने के कार्य को पूर्ण करें।	**झ)** अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप संबंधित बैंकों द्वारा 693 कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में से 484 में वी.-सैट लगाने के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है तथा 209 एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके लिए बैंकों को पुन: निर्देशित किया गया है।
	ञ) समस्त बैंक, कनेक्टिविटी रहित ऐसे एस.एस.ए. जहाँ बी.सी. / सी.एस.पी. नहीं मिल पाने के कारण वी.-सैट लगाने में दिक्कत आ रही है, में सरकारी राशन विक्रेताओं को बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति हेतु शासन / जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करें। साथ ही उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय को भी इन एस.एस.ए. की जिलेवार सूची उपलब्ध करा कर एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के शिक्षित सदस्यों को बी.सी. / सी.एस.पी. के रुप में नियुक्त कराने हेतु सहयोग प्राप्त करें।	**ञ)** इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त बैंकों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
	ट) समस्त बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हुए योजनांतर्गत उन्हें आबंटित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।	**ट)** बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 109125 लाभार्थियों को **रु. 1429.07 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।

ठ) समस्त बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु निर्धारित कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

ठ) बैंकों द्वारा स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

	खातों की संख्या	**ऋण राशि (₹ करोड़ में)**
महिला	895	193.26
अनुसूचित जाति / जनजाति	147	29.93
योग	**1042**	**223.19**

ड) समस्त बैंक केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत कवर करना सुनिश्चित करें।

ड) इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से बैंकों को निर्देश जारी किए गए है तथा 31.03.2018 तक बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के अंतर्गत क्रमश: **1782842, 483334** एवं **79749** व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया है।

ढ) नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम के तहत जिलेवार डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत **₹ 92.79 करोड़** के ऋण वितरण की कार्ययोजना तैयार की गयी है। समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के सहयोग से अपने जिले की बैंक शाखाओं को लक्ष्य आबंटित कर त्रैमासिक आधार पर आयोजित होने वाली डी.एल.आर.सी. की बैठकों में प्रगति की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

ढ) इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी किए गए है तथा उनके द्वारा पुष्टि की गयी है कि शाखावार लक्ष्य निर्धारित कर त्रैमासिक आधार पर आयोजित होने वाली डी.एल.आर.सी. की बैठकों में प्रगति की समीक्षा करना नोट किया गया है।

ण) निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर **40 प्रतिशत** से कम रहा है।

जिला	**दिसम्बर, 2017**
अल्मोड़ा	22%
पौड़ी	23%
चम्पावत	24%
टिहरी	25%
चमोली	26%
रुद्रप्रयाग	26%
बागेश्वर	29%
पिथौरागढ	32%
देहरादून	35%

ण) जिन जिलों का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर 40 प्रतिशत से कम रहा है, उनका मार्च, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर ऋण-जमा अनुपात निम्नवत रहा है :

जिला	**दिसम्बर, 2017**	**मार्च, 2018**
अल्मोड़ा	22%	22%
पौड़ी	23%	23%
चम्पावत	24%	24%
टिहरी	25%	26%
चमोली	26%	27%
रुद्रप्रयाग	26%	28%
बागेश्वर	29%	29%
पिथौरागढ	32%	33%
देहरादून	35%	36%

	संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक बैंकों तथा रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक ऋण वितरण करवाते हुए जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।	इस विषयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के स्तर से संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों को समुचित निर्देश जारी किए गए हैं तथा मार्च, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा देहरादून जिलों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि दर्ज की गयी है।
3.	**<u>नाबार्ड से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** **क)** महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वी.-सैट क्रय एवं इनकी स्थापना पर होने वाले व्यय की नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति के संदर्भ में उनके बैंक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, देहरादून को प्रेषित प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना है। **ख)** बैंकों द्वारा किये गये अनुरोध के परिपेक्ष्य में वी.-सैट क्रय एवं इनकी स्थापना पर होने वाले व्यय की नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु नियत तिथि दिनांक 31 मार्च, 2018 को आगे बढ़ाया जाना।	**क)** इस विषयक क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, देहरादून द्वारा सक्षम स्तर से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अपने प्रधान कार्यालय, मुम्बई को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। **ख)** इस विषयक नाबार्ड से कार्यवाही प्रतीक्षित है।
4.	सभी बैंक नियंत्रक, 31 मार्च, 2018 की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-47** पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक **10 अप्रैल, 2018** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा 30 अप्रैल, 2018 तक प्रेषित किए गए हैं।

****